12.09.2023

सीबीएसई/पंजी./2023-24/2023

सीबीएसई से संबद्ध
सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य/प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय : कक्षा IX/XI 2023-24 **के लिए अभ्यर्थियों के पंजीकरण आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण**

महोदया/महोदय,

कक्षा IX और XI में छात्रों का पंजीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे सीबीएसई को आगामी वर्ष में इन छात्रों की X और XII कक्षा की परीक्षा आयोजित करने के लिए अग्रिम योजना बनाने में मदद करती है। पंजीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू छात्रों के व्यक्तिगत विवरणों को माता-पिता को संप्रेषित करना है ताकि यदि संबंधित छात्र के व्यक्तिगत विवरण में कोई गलती हो तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। यह भविष्य में समस्या से बचाव करता है। पंजीकरण की प्रक्रिया **अनुलग्नक-ए में दी गई अनुसूची के अनुसार** शुरू की जाएगी। अभ्यर्थियों का पंजीकरण **सीबीएसई की वेबसाइट** https://cbse.gov.in पर दिये गए **परीक्षा संगम** लिंक के माध्यम से किया जाएगा।

चूंकि **अनुसूची के अनुवर्तन में पंजीकरण डेटा जमा करना बहुत महत्वपूर्ण है**, इसलिए स्कूलों से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थियों के डेटा को समय पर प्रस्तुत करने की योजना बनाएं। अनुसूची का अनुसरण करने के अलावा, यह भी महत्वपूर्ण है कि भरा गया डेटा पूरी तरह से सही है। इस बारे में विद्यालयों को बोर्ड ने पहले ही आँकड़े तैयार रखने के लिए सूचित कर दिया है, इसलिए पंजीकरण के लिए सही आँकड़े अनुसूची के भीतर जमा किए जाएं।

पंजीकरण पोर्टल पर छात्रों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी है:

1. ऐसी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जिन्हें समझे बिना स्कूल पंजीकरण सही ढंग से नहीं भर पाएंगे। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि प्रधानाचार्य द्वारा उन व्यक्तियों/ शिक्षकों के साथ बैठक की जाए जिन्हें पंजीकरण पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है। इस बैठक में,परिपत्र पर विस्तार से चर्चा की जाए और अनुदेशों को भली-भाँति समझकर पंजीकरण डेटा भरा जाए।
2. **सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं** में केवल उन्हीं छात्रों को बैठने की अनुमति दी जाएगी, जिनके नाम इस परिपत्र में वर्णित पंजीकरण आँकड़ों को जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

3. **प्रधानाचार्यों/स्कूलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि:-**

(क) **प्रायोजित छात्र केवल उनके अपने नियमित और वास्तविक छात्र हैं।**

(ख) किसी भी वास्तविक छात्र का नाम अपंजीकृत नहीं छोड़ा गया है।

(ग) छात्र किसी भी अनधिकृत / असंबद्ध स्कूल से नहीं हैं।

(घ) विद्यार्थी आपके विद्यालय में कक्षाओं में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं।

(ङ) छात्र सीबीएसई के अतिरिक्त किसी अन्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

(च) परीक्षा उप विधि के प्रावधानों के अनुसार छात्र कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए पात्र हैं और अगले वर्ष में बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बैठेंगे।

(छ) कक्षा 11 के छात्रों के मामले में, यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए कि :

(i) छात्रों ने अपनी कक्षा 10 की परीक्षा के सभी विषय / पेपर उत्तीर्ण किए हैं और संबंधित बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं।

(ii) छात्रों ने अपनी कक्षा 10 की परीक्षा केवल किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की है।

इस संदर्भ में आपका ध्यान बोर्ड की संबद्धता उप विधि - 2018 के पैरा 14.2 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं :-

"प्रत्येक संबद्ध स्कूल के लिए बोर्ड की परीक्षा उपविधि का यथावश्यक परिवर्तन सहित पालन करना अनिवार्य है।

14.2.1 प्रत्येक संबद्ध स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के समय कक्षा 9, 10, 11 और 12 के संबंध में छात्रों की संख्या और उनके विवरण की एक सूची प्रस्तुत करेगा।

14.2.2 कोई भी संबद्ध स्कूल उन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित नहीं करेगा जो इसकी नामावली में नहीं हैं।

14.2.3 कोई भी संबद्ध स्कूल उन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित नहीं करेगा जो किसी असंबद्ध स्कूल/शाखा की नामावली में हैं।

14.2.4 कोई भी संबद्ध स्कूल उन अभ्यर्थियों को बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित नहीं करेगा जो इसकी नामावली में शामिल हैं, लेकिन नियमित रूप से स्कूल नहीं गए हैं या बोर्ड की परीक्षा मे उपस्थित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

14.2.5 प्रत्येक संबद्ध स्कूल नियमित रूप से बिना किसी व्यवधान संबद्धता / उन्नयन प्रदान करते समय उल्लेखित वर्ष से बोर्ड की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में अपने वास्तविक और पात्र छात्रों को नियमित रूप से प्रायोजित करेगा या लिखित में कारणों के साथ अभ्यर्थियों को प्रायोजित न करने के बारे में समय पर सूचित करेगा।

14.2.6 बोर्ड से संबद्ध स्कूल किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को नहीं भेजेगा। यह केवल सीबीएसई की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करेगा।

4. सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अभ्यर्थियों का पंजीकरण आँकड़े जमा करने, कक्षा कक्षों और शिक्षकों की उपलब्धता के लिए सीबीएसई की उपविधियों/ नियमों का अक्षरश: पालन किया जा रहा है। एक कक्षा में 40 छात्रों को अनुमति है और शिक्षक छात्र अनुपात 1:1.5 है। इसके अलावा, सेक्शन की संख्या बोर्ड द्वारा अनुमत सेक्शन की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है।

हालाँकि, वेब-लिंक https://www.cbse.gov.in/cbsenew/documents//Circular relaxation section strength 02082023.pdf पर उपलब्ध परिपत्र संख्या सीबीएसई/सीई/परिपत्र/2023 दिनांक 02 अगस्त 2023 के माध्यम से एक विशेष उपाय के रूप में पुन: संरेखण की ओर बोर्ड द्वारा

प्रति अनुभाग 45 छात्रों की संख्या की केवल तीन वर्षों (2024, 2025 और 2026) के लिए की अनुमति दी गई है।

इसलिए सभी स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे परिपत्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तदनुसार ओएसिस में डेटा भरें।

5. **सभी** सीबीएसई संबद्ध स्कूलों को ऑनलाइन प्रस्तुति करने के लिए आगे बढ़ने से पहले स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है। स्कूलों को उनके पास पहले से उपलब्ध 'संबद्धता संख्या' का यूज़र आईडी के रूप में उपयोग करना चाहिए। पासवर्ड वही रहेगा जैसा कि ओएएसआईएस में उपयोग में लाया गया।
6. बोर्ड "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016" में परिभाषित दिव्यांग अभ्यर्थियों को कई छूट/ रियायतें प्रदान कर रहा है। इस संदर्भ में स्कूल लिंक https://www.cbse.gov.in/cbsenew/ExaminationCircular/2019/5CIRCULAR.pdf पर उपलब्ध परिपत्र संख्या CBSE/COORD/112233/2019 दिनांक 12.04.2019 का संदर्भ ले सकते हैं।

   सीडब्ल्यूएसएन छात्रों की श्रेणी का चयन सावधानीपूर्वक किया जाएगा और पंजीकरण डेटा में प्रस्तुत की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन छात्रों को परीक्षाओं के संचालन के दौरान लागू छूट दी जा सकें।

पंजीकरण आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए ऑनलाइन प्रणाली की विशेषताएं

7. विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले, मौजूदा स्कूलों को ओएसिस और एचपीई पोर्टल पर डेटा अपडेट करना होगा।
8. केवल वे टीजीटी/पीजीटी जो क्रमशः कक्षा IX-X/ XI-XII पढ़ा रहे हैं, उन्हें गुणवत्तापरक मूल्यांकन के लिए पात्र मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए टीजीटी/पीजीटी के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तदनुसार, OASIS में, पढ़ाई गई कक्षाओं को स्कूलों द्वारा स्पष्ट रूप से भरने की आवश्यकता है। स्कूल छोड़ने वाले शिक्षकों के नाम डेटा से हटा दिए जाएंगे। साथ ही, उन शिक्षकों के नाम, जिनके नाम मौजूदा आंकड़ों में नहीं आ रहे हैं, शामिल किए जाएंगे।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी शिक्षकों का पूरा नाम ओएसिस में भरा जाए। संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि संक्षिप्ताक्षर दिये जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि स्कूलों द्वारा शिक्षकों का गलत डाटा उपलब्ध कराया गया है। नामों के आगे कोई अभिवादन आदि नहीं लगाया जाएगा।
10. सभी स्कूलों को सबसे पहले OASIS पोर्टल पर जानकारी दर्ज करनी होगी। OASIS पर जानकारी बहुत सावधानी से भरी जानी चाहिए क्योंकि स्कूलों को घोषित सेक्शन/छात्रों की संख्या को बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. OASIS पर जानकारी बहुत सावधानी से भरी जानी चाहिए क्योंकि जमा करने के बाद स्कूलों को छात्रों के घोषित सेक्शन/संख्या को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. परीक्षा उप-विधि के नियम 6.1 (ए) (iii) के अनुसार, स्कूल यह सुनिश्चित करेगा कि एक कक्षा में प्रवेश चाहते समय, छात्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित और जहां स्कूल स्थित है,उस स्थान पर लागू शर्तों के अनुसार आयु सीमा (न्यूनतम और अधिकतम) की आवश्यकता को पूरा करता है।
13. **स्कूलों से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थी, माता, पिता/अभिभावक का पूरा नाम भरें। संक्षिप्ताक्षरों से बचना चाहिए क्योंकि ये भविष्य में छात्रों के लिए समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। स्कूल यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सावधानी बरतेंगे कि सही नाम दर्ज किया गया है।**
14. कक्षा IX/XI की परीक्षाएं स्कूलों को आंतरिक रूप से आयोजित करनी होंगी।

15. विद्यालय द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। विद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि वे प्रत्येक विषय में प्रायोजित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को कार्यमुक्त करें।
16. स्कूल ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली द्वारा प्रदान की गई विधिवत भरी हुई एक्सेल फाइल अपलोडिंग या व्यक्तिगत प्रविष्टि द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
17. अंतिम रूप से प्रस्तुति से पहले स्कूलों को कक्षा IX/XI पंजीकरण में अपने वास्तविक छात्रों के फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने की सही प्रक्रिया अनुलग्नक-सी में दी गई है।
18. कई संगठन और राज्य छात्रों की वित्तीय स्थिति के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। तदनुसार, माता-पिता की वार्षिक आय के बारे में उनके द्वारा दी गई जानकारी एकत्र की जा सकती है। स्कूलों को माता-पिता से आईटीआर/अन्य आय प्रमाण आदि की मांग नहीं करनी चाहिए।
19. संबद्धता उपविधि के अनुसार, विद्यालय ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में प्रयोगशाला की आवश्यकता वाले विषयों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक विषय की पेशकश कर सकते हैं। शैक्षणिक विषय जिनमें प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है, उन्हें OASIS में अद्यतन करके पेश किया जा सकता है।
20. कक्षा-XI (कौशल) और कक्षा-XI (शैक्षणिक और कौशल) के लिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं विषयों की पेशकश करें जिनकी उन्हें बोर्ड द्वारा अनुमति दी गई है। यदि स्कूल बोर्ड द्वारा अनुमति दिए गए विषयों के अलावा अन्य विषयों में छात्रों को प्रायोजित करता है, तो सीबीएसई निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:
    (ए) अभ्यर्थियों को कक्षा X/XII में उन विषयों में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा।
    (बी) स्कूल के विरुद्ध असंबद्धता की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

21. सीबीएसई के परिपत्र संख्या शैक्षणिक-38/2021 के अनुसार, किसी भी स्तर पर कौशल विषय (विषयों) को शुरू करने के लिए संबद्ध स्कूलों को किसी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
22. अध्ययन की योजना के अनुसार बोर्ड ने विषयों के मान्य/अमान्य संयोजन की सूची निर्धारित की है। पंजीकरण डेटा में विषयों को भरने से पहले स्कूल को अनुलग्नक-एफ (कक्षा IX के लिए) और अनुलग्नक-आई (कक्षा XI के लिए) के अनुसार विषयों के संयोजन की जांच करनी चाहिए।
23. प्रत्येक शुल्क स्लैब के लिए सभी छात्रों का विवरण केवल एक लॉट में जमा किया जाना चाहिए। शुल्क स्लैब में डेटा को आंशिक रूप से जमा करने की अनुमति नहीं होगी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक स्लॉट में छात्रों की केवल एक सूची स्वीकार की जाएगी।
24. पहले के वर्षों में, स्कूलों को IX/XI कक्षा के पंजीकरण डेटा के अंतिम रूप से तैयार डेटा की हस्ताक्षरित प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने की आवश्यकता थी। 2021 से इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। अब पंजीकरण डेटा को प्रधानाचार्य के आधार से जुड़े ई-हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराए गए सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि अपलोड किया गया डेटा पूरी तरह से सही है। इसकी अंतिम रूप से प्रस्तुति के बाद सीबीएसई द्वारा डेटा को अपडेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
25. अपलोड किए गए डेटा में सुधार के लिए कोई विंडो उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। सही डेटा अपलोड करना संबंधित स्कूल की जिम्मेदारी है।
26. अब, पंजीकरण डेटा ऑनलाइन जमा करने के लिए, पर्याप्त समय दिया जा रहा है। स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार डेटा अपलोड कर सकते हैं लेकिन केवल निर्धारित समय के भीतर। वे कई अवसरों पर डेटा अपलोड कर सकते हैं और इसे संचित कर सकते हैं। तथापि, उन्हें शुल्क के साथ अंतिम तिथि पर या उससे पहले डेटा जमा करना होगा। डेटा जमा होने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
27. ऑनलाइन प्रस्तुति निर्धारित तिथियों पर मध्यरात्रि 11:59 बजे बंद हो जाएगी। इसलिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि किसी अन्य आधार पर या अंतिम दिन से ठीक पहले के दिन इंटरनेट पर भारी

लोड के कारण सर्वर से कनेक्ट होने में विफलता/ धीमे कनेक्शन की संभावना से बचने के लिए पंजीकरण डेटा की ऑनलाइन प्रस्तुति को समय पर पूरा कर लें।

28. प्रत्येक गतिविधि के लिए अंतिम तिथि निर्धारित है और अंतिम तिथि को बढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए, स्कूलों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि और समय के भीतर गतिविधि को पूरा करें।
29. पंजीकरण डेटा जमा करने के बाद, बोर्ड द्वारा विषय परिवर्तन, कक्षा -IX और XI में प्रवेश (स्थानांतरण मामलों को छोड़कर) और सीडब्ल्यूएसएन के लिए रियायतों हेतु किसी भी अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा।
30. किसी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जाए।

सही डेटा के लिए प्रयास

31. यह देखा गया है कि दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने के बाद छात्र सीबीएसई से अपने व्यक्तिगत डेटा जैसे उनका नाम, जन्म तिथि, उनके माता और पिता का नाम में सुधार / परिवर्तन करने के लिए और परिशोधित शैक्षिक दस्तावेज जारी करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। उनके अनुरोध कई बहाने पर आधारित पाए जाते हैं। इन अनुरोधों को स्कूलों के साथ-साथ सीबीएसई द्वारा स्वीकार करना काफी मुश्किल है क्योंकि इससे नई पहचान बन सकती है। एक बार पंजीकरण पोर्टल पर सीबीएसई को अपना डेटा जमा करने के बाद, स्कूल स्कूल के पास उपलब्ध किसी भी छात्र का कोई रिकॉर्ड नहीं बदलेगा। इसी तरह, कक्षा-XI के छात्र का डेटा सख्ती से उसके दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार होगा और सीबीएसई के अनुमोदन के बिना, पंजीकरण पोर्टल पर सीबीएसई को उसका डेटा जमा करने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा।

कक्षा-नौवीं में सीबीएसई में छात्रों को पंजीकृत कराने के दौरान छात्रों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों और सही डेटा के महत्व के बारे में स्कूलों को इन छात्रों को जानकारी/मार्गदर्शन देना चाहिए। सीबीएसई भी प्रयास कर रहा है और प्रणाली में अनेक जांच शामिल की गई हैं जिससे कि सभी छात्रों का डेटा पूर्णतया सही हो और डेटा के सुधार के लिए सीबीएसई द्वारा कोई अनुरोध प्राप्त न हो। इस बारे में किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं:

(क) छात्रों के ध्यान में लाना कि पंजीकरण के लिए सही डेटा प्रदान किया जाना है।
(ख) विवरण के ठीक होने की पुष्टि के तौर पर स्कूल द्वारा पंजीकरण कार्ड के रूप में पंजीकरण विवरण छात्रों और माता-पिता को प्रदान किया जाएगा।
(ग) अभ्यर्थी सूची (एलओसी) पंजीकरण रिकॉर्ड में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित होगी।
(घ) डेटा के ठीक होने की पुष्टि के रूप में माता-पिता एलओसी पर हस्ताक्षर करेंगे।
(ङ) अभ्यर्थी और माता-पिता द्वारा प्रवेश पत्र पर डेटा के ठीक होने के बारे में वचनबद्धता देना।
(च) माता-पिता दसवीं और बारहवीं कक्षा के अंक विवरण सह प्रमाण पत्र के पीछे एक वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करेंगे कि उन्होंने डेटा की जांच की है और सही पाया है।

<u>तदनुसार, विद्यालयों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित तरीके से छात्रों का मार्गदर्शन करें</u>: -

(क) छात्रों को स्वयं और पिता/माता/अभिभावक का पूरा / विस्तारित नाम देना होगा। यह सलाह दी जाती है कि संक्षिप्त नाम न दें।
(ख) जांच करें कि उनका डेटा जन्म तिथि, प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, आधार और पासपोर्ट आदि जैसे सभी दस्तावेजों में समान है।
(ग) वे उपनाम (Surname) की आवश्यकता की संभावना जाँचेंगे क्योंकि विदेश जाने पर, दौरा किए गए देश के लिए पहला नाम और उपनाम दोनों होना अपेक्षित हो सकता है।
(घ) उनकी जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार है।
(ङ) छात्रों को अपने नाम का पूरा वर्णन करना चाहिए अर्थात कोई संक्षिप्त रूप नहीं दिया जाएगा।
(च) नाम (नामों) में कोई अभिवादन नहीं जोड़ा जाएगा।

डाटा अपलोड करते समय स्कूल निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे : -

32. छात्र/माता/पिता/अभिभावक के नाम की वर्तनी सही है और स्कूल द्वारा बनाए गए प्रवेश और निकासी रजिस्टर के अनुसार है। यह सुनिश्चित किया जाए कि अभ्यर्थी/माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम भरा जाए ताकि भविष्य में सुधार से बचा जा सके और अभ्यर्थी को कोई कठिनाई न हो। संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
33. जन्म तिथि सही है और स्कूल द्वारा बनाए गए प्रवेश और निकासी रजिस्टर के अनुसार है।
34. विषय संयोजन सही हैं और अध्ययन की योजना के अनुसार है।

विषय कोड को ध्यान से चुना जाना चाहिए और विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों में, कोड को सही ढंग से चुना जाना चाहिए:

(क) कक्षा X में:

अंग्रेजी (कॉमन्युकेटिव) (101), अंग्रेजी (भाषा व साहित्य) (184)
हिंदी-ए (002), हिन्दी-बी (085),
संस्कृत (कॉमन्युकेटिव) (119), संस्कृत (122)
उर्दू ए (003), उर्दू बी (303),
तेलुगु (007), तेलुगु (तेलंगाना) (089)
गणित स्टैन्डर्ड (041), गणित बेसिक (241)

(ख) कक्षा-XII में:

हिंदी कोर (302), हिंदी इलेक्टिव (002), अंग्रेजी कोर (301), अंग्रेजी इलेक्टिव (001), संस्कृत कोर (322), संस्कृत इलेक्टिव (022), उर्दू कोर (303), उर्दू इलेक्टिव (003), गणित (041), अनुप्रयुक्त गणित (241)

OASIS में डाटा की प्रस्तुति

स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने डेटा को OASIS पोर्टल पर हर समय अपडेट रखें। हालाँकि, पंजीकरण शुरू होने से पहले स्कूल एक बार फिर OASIS पोर्टल पर जानकारी को पूरा / अद्यतन कर सकता है। पंजीकरण पोर्टल खुलने से पहले ओएसिस डेटा को पूरा/अपडेट करना अनिवार्य है।

यह ध्यान दिया जाए सेक्शन की संख्या और अभ्यर्थियों की कुल संख्या पर रोक पंजीकरण पोर्टल खोलने की तारीख से पहले स्कूल द्वारा OASIS में दर्ज किए गए सेक्शन की संख्या के आधार पर होगी। पंजीकरण पोर्टल खुलने के बाद किया गया अपडेशन स्कूल के खाते में नहीं दिखेगा। इसलिए स्कूलों को पंजीकरण पोर्टल के खुलने की तिथि से पहले OASIS पोर्टल पर अपना डेटा, विशेष रूप से अनुभागों की संख्या, अपडेट करने के लिए आगाह किया जाता है।

पाठ्यविवरण तथा अध्ययन योजना

बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2024.html लिंक पर पाठ्यक्रम में उपलब्ध है। स्कूलों को केवल अध्ययन योजना के अनुसार विषयों की पेशकश करने की आवश्यकता है।

यह अपेक्षा की जाती है कि स्कूल दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे, छात्रों का सही डेटा एकत्र करेंगे और उसे भी सही ढंग से जमा करेंगे। सही डेटा अपलोड करने के उनके प्रयासों से अभ्यर्थियों को सही विषय के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने और सही विवरण के साथ दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जिससे परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत डेटा में सुधार के मामलों में भी कमी आएगी।

कार्यालयी समय के दौरान किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए कृपया https://wwwcbse.gov.in/cbsenew/contact-us.html लिंक पर जायें।

भवदीय

हस्ता./-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

अनुलग्नक ए	कक्षा IX/XI में पंजीकरण के लिए शुल्क विवरण
अनुलग्नक बी	कक्षा IX/XI में विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के चरण
अनुलग्नक सी	तस्वीरों को स्कैन करने और अपलोड करने के चरण
अनुलग्नक डी	कक्षा IX अध्ययन योजना
अनुलग्नक ई	कक्षा IX विषय सूची
अनुलग्नक एफ	कक्षा IX के लिए विषय संयोजन के उदाहरण
अनुलग्नक जी	कक्षा XI अध्ययन योजना
अनुलग्नक एच	कक्षा XI विषय सूची
अनुलग्नक आई	कक्षा XI के लिए विषय संयोजन के उदाहरण

प्रति: वेब एडमिन को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण

कक्षा IX/XI, 2023-2024 में पंजीकरण के लिए शुल्क विवरण						
शुल्क स्लैब	**प्रति विद्यार्थी अदा किया जाने वाला पंजीकरण शुल्क (भारतीय रुपए में)**				**विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए अनुसूची**	**शुल्क के भुगतान के लिए अनुसूची**
	भारत में		**भारत के बाहर**			
	IX	**XI**	**IX**	**XI**		
विलंब शुल्क के बिना	300/-	300/-	500/-	600/-	12.09.2023 (मंगलवार) से 12.10.2023 (वीरवार)	पंजीकरण डाटा को अंतिम रूप देने की तिथि + 4 दिन (उदाहरण के अनुसार)
विलंब शुल्क सहित	*2300/-	*2300/-	*2500/-	*2600/-	13.10.2023 (शुक्रवार) से 25.10.2023 (बुधवार)	पंजीकरण डाटा को अंतिम रूप देने की तिथि + 4 दिन (उदाहरण के अनुसार)
प्रशिक्षण शुल्क	रु. 20,000/-		रु.20,000/-		---	पंजीकरण शुल्क के साथ
खेल शुल्क	रु. 10,000/-		रु. 10,000/-		---	पंजीकरण शुल्क के साथ
दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को IX/XI कक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।						

विलंब शुल्क की गणना के लिए उदाहरण
***** प्रशिक्षण शुल्क दिनांक 22.02.2023 की अधिसूचना संख्या CBSE/HQ/Training Fee Revision/2023/ 3019 द्वारा 10000/- रुपये से 20000 रुपये परिशोधित कर दी गई है।**

शुल्क केवल सीबीएसई द्वारा निर्धारित ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा। ऑफ़लाइन मोड में, बैंक खाते में सीधे जमा आदि से कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह शुल्क स्कूल खातों में अद्यतन नहीं किया जाएगा, परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा एलओसी स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिस तिथि को डेटा को अंतिम रूप दिया जाता है उसे शुल्क गणना के लिए लिया जाता है

(क) यदि छात्रों के विवरण को **21.10.2023 को या उससे पहले** दर्ज किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है, स्कूल **25.10.2023** तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(ख) यदि छात्रों के विवरण को दर्ज करके **22.10.2023** को अंतिम रूप दिया जाता है, स्कूल **26.10.2023** तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।
(ग) यदि छात्रों के विवरण को दर्ज करके **23.10.2023** को अंतिम रूप दिया जाता है, स्कूल **27.10.2023** तक

विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।

(घ) यदि छात्रों के विवरण को दर्ज करके **24.10.2023** को अंतिम रूप दिया जाता है,स्कूल **28.10.2023** तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।

(ङ) यदि छात्रों के विवरण को दर्ज करके **25.10.2023** को अंतिम रूप दिया जाता है,स्कूल **29.10.2023** तक विलंब शुल्क के बिना शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क लागू होगा।

(च) विलंब शुल्क के साथ पंजीकरण के लिए, पंजीकरण डेटा को अंतिम रूप देने की तारीख से 4+दिन उसी तरह लागू होंगे जैसा कि ऊपर (क) से (.ड) में दिया गया है।

यह ध्यान दें कि यदि छात्रों के पंजीकरण के डेटा को 25.10.2023 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया, तो विलंब शुल्क लागू होगा। डेटा को अंतिम रूप देने के बाद केवल शुल्क जमा करने के लिए +4 दिन की समय सीमा उपलब्ध है। डेटा को अंतिम रूप देना छात्र पंजीकरण डेटा को प्रविष्ट करने/ अपलोड के बाद की गतिविधि है।

	शुल्क भुगतान विधि
(क)	**सीबीएसई द्वारा सभी गतिविधियों के लिए शुल्क केवल निम्नलिखित डिजिटल भुगतान माध्यमों द्वारा स्वीकार किया जाता है:-** **भारत में -** डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / NEFT / RTGS डिजिटल शुल्क/वॉलेट* **विदेश -** डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / SWIFT डिजिटल शुल्क/वॉलेट* -:डिजिटल शुल्क वॉलेट* स्कूलों को शुल्क के निर्बाध भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए, सीबीएसई ने पहली बार शुल्क भुगतान के अतिरिक्त तरीकों में से एक के रूप में अपनी तरह की एक डिजिटल शुल्क वॉलेट प्रणाली शुरू की है। इसमें स्कूल अपने डिजिटल शुल्क वॉलेट खोल सकते हैं और भुगतान के साथ टॉप अप कर सकते हैं। डेटा को अंतिम रूप देने और स्कूलों द्वारा 'डिजिटल शुल्क वॉलेट' के रूप में शुल्क मोड के चयन के बाद आवश्यक शुल्क की स्वचालित रूप से कटौती हो जाएगी। शुल्क केवल सीबीएसई द्वारा निर्धारित ऑनलाइन मोड में स्वीकार किया जाएगा। ऑफ़लाइन मोड, बैंक खाते में सीधे जमा आदि से कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और यह शुल्क स्कूल खातों में अद्यतन नहीं किया जाएगा, परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी सूची स्वीकार नहीं की जाएगी।
(ख)	फीस के भुगतान से पहले, स्कूल चेक लिस्ट के रूप में पंजीकरण डेटा का प्रिंट ले सकते हैं। एक बार शुल्क का भुगतान करने के बाद, अंतिम पंजीकरण डेटा सूची मुद्रित की जाएगी, और उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कोई सुधार नहीं किया जा सकता है।
(ग)	चूंकि स्विफ्ट अपडेशन में 2-3 दिन लग सकते हैं, इसलिए, भारत के बाहर स्थित स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे शुल्क के भुगतान सहित अपनी प्रक्रिया को इस तरह से पूरा करें कि उनकी प्रक्रिया अंतिम तिथि से पहले समाप्त हो जाए।
(घ)	बैंक से संबंधित लेनदेन या सर्वर पर शुल्क अद्यतन न होने के मामले में, स्कूलों को संबंधित बैंक से संपर्क करना चाहिए जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था। बैंकों का संपर्क विवरण सीबीएसई की वेबसाइट पर दिया गया है। आम तौर पर, बैंक को शुल्क अद्यतन न होने के मामले को हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे बैंक से संपर्क करने से पहले तैयार रखें-: (i) भुगतान का तरीका (ii) शुल्क संदर्भ संख्या (iii) जमा की गई राशि (iv) जमा करने की तिथि (v) शाखा जहां राशि जमा की गई थी (vi) बैंक संदर्भ संख्या (बैंक खाते में दर्शाई गई लेनदेन आईडी) (vii) आपका संपर्क नंबर

अनुलग्नक - बी

कक्षा IX/XI में विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के चरण	
	पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान स्कूल को निम्नलिखित को अद्यतन करना होगा :- (क) स्कूलों को सेक्शन की संख्या और छात्रों की संख्या दर्ज करनी होती है जो OASIS पर प्रदान की गई जानकारी के अनुरूप होनी चाहिए। यह जानकारी OASIS में बहुत सावधानी से भरी जानी चाहिए क्योंकि स्कूलों को बाद में घोषित सेक्शन/ क्षमता/संख्या (Section/Strength) को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) स्कूल विवरण: स्कूल के विवरण में कोई भी सुधार जैसे कि प्रधानाचार्य का नाम, फोन नंबर, अनुभव, स्कूल वेबसाइट, भविष्य के संचार के लिए वैध ईमेल पता, पदनाम के साथ उस व्यक्ति का नाम जो छात्रों के विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए अधिकृत हो, को अद्यतन करना चाहिए। (ग) शिक्षक प्रशिक्षण विवरण को अद्यतन करना: इस विकल्प का उपयोग स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण विवरण के बारे में अनिवार्य विवरण देने के लिए किया जा सकता है। विवरण केवल एक बार भरा जा सकता है और इसलिए सावधानी से किया जाना चाहिए। विवरण की मुद्रित हार्डकॉपी अंतिम सूची के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
	एक लॉट में एक्सेल फाइल को अपलोड करने और व्यक्तिगत प्रविष्टि अपलोड करने की विधि: (क) जिन स्कूलों में कक्षा IX/XI में कम छात्र हैं, वे व्यक्तिगत प्रविष्टि द्वारा सीधे वेबसाइट पर विवरण दर्ज कर सकते हैं। (ख) बल्क एंट्री के लिए, स्कूल 'डाउनलोड एक्सेल फाइल' विकल्प पर क्लिक करके एक्सेल फाइल को वैकल्पिक रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल फाइल में डाटा भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:- • स्कूलों को एक्सेल फ़ाइल का प्रारूप नहीं बदलना चाहिए अन्यथा छात्रों का डेटा ठीक से अपलोड नहीं किया जाएगा। • स्कूल केवल एक बार एक्सेल फ़ाइल के माध्यम से डेटा अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद परिवर्धन/संयोजन, सुधार और विलोपन/हटाना, यदि कोई हों, केवल ऑनलाइन किए जाने चाहिए। • मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी, जिस पर अभ्यर्थी से संपर्क किया जा सकता है, दिया जा सकता है। • एक्सेल फाइल में डेटा की पूरी प्रविष्टि और पूरी तरह से जांच के बाद, इसे 'अपलोड एक्सेल फाइल' विकल्प पर क्लिक करके अपलोड किया जा सकता है। **जब तक आप जाँच सूची तैयार नहीं कर लेते और आवश्यक सुधार नहीं कर लेते, तब तक डेटा को तुरंत अंतिम रूप न दें।** • स्कूलों को स्कूल के प्रवेश और निकासी रजिस्टर में उपलब्ध विवरण के अनुसार नामांकित प्रत्येक छात्र के विवरण को ध्यान से और सावधानीपूर्वक मिलान और जांच कर लेना चाहिए। • स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों का नाम/जन्मतिथि/ अन्य विवरण दर्ज करते समय सावधानी बरतें।

	• जिस तारीख को छात्र के विवरण को अंतिम रूप दिया जाता है, उससे स्कूल द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण होगा और कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न होगा। • जिनके स्कूल में इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी है, उनको एक्सेल फाइल डाउनलोड करने और ऑफलाइन मोड में प्रविष्टियां करने की सलाह दी जाती है। फिर अपलोड करने से पहले एक टेक्स्ट प्रिंट लिया जाए। एक्सेल फाइल को ब्रॉडबैंड कनेक्टेड कंप्यूटर/साइबर कैफे से अपलोड किया जा सकता है।
3.	**पंजीकृत छात्रों की चेकलिस्ट प्रिंटिंग:** (क) स्कूल "पंजीकृत छात्रों की चेक लिस्ट प्रिंटिंग" विकल्प चुनकर जमा की गई विद्यार्थी सूची का प्रिंट ले लेंगे। (ख) प्रिंटर सेटिंग्स को A4 आकार के पेपर के लिए लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ सभी साइड मार्जिन 0.25" पर सेट किया जा सकता है। (ग) इस सूची का शीर्षक होगा 'कक्षा .. .. .. के लिए पंजीकृत छात्रों की जांच सूची' (घ) सूची में विवरण की तुलना मूल प्रवेश और निकासी रजिस्टर से की जा सकती है। प्रत्येक छात्र द्वारा प्रस्तुत विषय कोड और विषय नाम भी जांचा जाना चाहिए। (ङ) जब वर्तनी की गलतियों सहित सभी सुधारों को नोट कर लिया गया है, तो **"छात्रों की पंजीकृत सूची में सुधार"** विकल्प चुनकर सुधार ऑनलाइन किया जाना है।
4.	**छात्रों की पंजीकृत सूची में सुधार:** इस गतिविधि में तीन विकल्प हैं जोड़ें, आशोधित करें, हटाएं। • **जोड़ना:** छूटे हुए छात्रों/नए छात्रों का विवरण जमा किया जा सकता है। • **आशोधित करना:** छात्र के पहले से प्रस्तुत विवरण में सुधार को अद्यतन / आशोधित / सुधारा जा सकता है। छात्र के विवरण के सामने मुद्रित रिकॉर्ड संख्या टाइप की जाती है और छात्र का विवरण स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। संबंधित विवरण के सामने आवश्यक अद्यतन/सुधार/आशोधन टाइप किया जा सकता है। • **हटाना:** छात्र के विवरण के सामने मुद्रित रिकॉर्ड संख्या टाइप करके छात्र के विवरण को पूरी तरह से सूची से हटाया जा सकता है जिसका विवरण सूची से हटाया जाना है। छात्र के विवरण को हटाने से पहले स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा। एक बार हटाए गए विवरण को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो “जोड़ें” विकल्प का उपयोग करके इसे फिर से दर्ज करना होगा। **ध्यान दें: "पंजीकृत छात्रों की चेकलिस्ट प्रिंटिंग" के विकल्प और "छात्रों की पंजीकृत सूची में सुधार" के विकल्प को सूची त्रुटि मुक्त होने तक कितनी भी बार दोहराया जा सकता है।**
5.	**डेटा को अंतिम रूप देना और शुल्क भुगतान :** (क) जब अभ्यर्थी/ माता/पिता के नाम में वर्तनी की गलती सहित सभी सुधार किए गए हों और सूची त्रुटि मुक्त हो, तो डेटा को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। (ख) डेटा को अंतिम रूप देने का अर्थ है कि प्रस्तुत किए गए डेटा में कोई और सुधार / हटाना/ आशोधन नहीं है, जिसका अर्थ है कि प्रस्तुत डेटा अंतिम है। (ग) डेटा के पहले लॉट (एक्सेल फाइल) को अंतिम रूप देने के बाद भी अगले लॉट में और अधिक छात्रों को जोड़ना संभव है (व्यक्तिगत प्रविष्टि ऑनलाइन द्वारा) बशर्ते विवरण जमा करने की तिथि समय सारिणी के भीतर हो, नए लॉट के लिए सूचित छात्रों की संख्या की सीमा पूरी नहीं हुई हो। शुल्क उस अवधि के लिए शुल्क

	अनुसूची के अनुसार होगा। (घ) एक स्कूल अधिकतम 5 लॉट (एक्सेल अपलोडिंग का एक लॉट और 4 गुना व्यक्तिगत ऑनलाइन प्रविष्टियां) में छात्रों को जोड़ कर अंतिम रूप दे सकता है। (ङ) डेटा को अंतिम रूप देने के बाद, भुगतान के उपलब्ध तरीकों के अनुसार अपेक्षित शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाना है। कृपया शुल्क विवरण वाला पृष्ठ देखें।
6.	**छात्रों के पंजीकरण की अंतिम सूची का मुद्रण :-** (क) अंतिम सूची तब तक तैयार नहीं की जा सकती जब तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है। स्कूल पंजीकृत छात्रों की अंतिम सूची का प्रिंटआउट ले लें। **(ख) इस सूची का शीर्षक होगा 'कक्षा -----के लिए पंजीकृत छात्रों की अंतिम सूची'** (ग) एक बार अंतिम सूची तैयार हो जाने के बाद, इस डेटा में कोई और जोड़ना, हटाना या सुधार नहीं किया जा सकता है। (घ) प्रिंटर सेटिंग्स को A4 आकार के पेपर के लिए लैंडस्केप प्रिंटिंग के साथ सभी साइड मार्जिन 0.25" पर सेट किया जा सकता है। (ङ) स्कूलों को छात्र की जानकारी के सामने दिए गए स्थान पर छात्रों का हाल ही में हाई कॉन्ट्रैस्ट का पासपोर्ट आकार का अधिमानत: ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ गोंद/आसंजक (पिन या स्टेपल नहीं किया जाना चाहिए) से मजबूती से चिपकाना होगा जो स्पष्ट रूप से फोटो खींचने की तिथि के साथ छात्र के नाम को दर्शाता हो (फोटो शैक्षणिक सत्र के 1 अप्रैल को या उसके बाद लिया जाना चाहिए) और इसके लिए निर्धारित स्थान में छात्र के हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे। (च) स्कूल अंतिम प्रिंटआउट को छात्र के हस्ताक्षर और फोटो के साथ स्कूल रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखेगा। (छ) चूंकि सीबीएसई ने विभिन्न परीक्षा गतिविधियों के लिए कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अपनाया है, स्कूल को किसी भी आवेदन को संसाधित करने के लिए बैंक / बोर्ड के किसी भी अधिकारी को नकद में कोई राशि नहीं देनी चाहिए। (ज) स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी वास्तव में उनके स्कूल में उपस्थित हो रहे हैं। नकली, गैर-उपस्थित अभ्यर्थी को प्रायोजित करने से स्कूल की संबद्धता समाप्त हो जाएगी।
7.	**सीडब्ल्यूएसएन और विषय छूट** (**क**) स्कूल सीडब्ल्यूएसएन अभ्यर्थियों को विषयों की पसंद/विकल्प के संबंध में उपलब्ध छूट से अवगत हो जाएं। (**ख**) स्कूल पहले बिना किसी छूट के नियमित विषयों के साथ सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के नाम अपलोड करेंगे। लेकिन छात्रों को बिना विफल हुए सीडब्ल्यूएसएन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। (**ग**) नियमित छात्रों के साथ डेटा अपलोड करने के बाद, CWSN छात्रों के संबंध में "MODIFY" के विकल्प का उपयोग डेटा को अंतिम रूप देने से पहले इन CWSN छात्रों को उपलब्ध छूट के अनुसार उनके विषयों को संपादित करने के लिए किया जाएगा। (**घ**) भिन्न क्षम अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध छूट के विस्तृत प्रावधान नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं: https://www.cbse.gov.in/cbsenew/Examination Circular/2019/5_CIRCULAR.pdf

<table>
<tr><th colspan="3">फोटोग्राफ की स्कैनिंग और अपलोडिंग के लिए चरण</th></tr>
<tr><td colspan="3">फोटो का प्रकार</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td>(i) कोई पिक्सेल न दिखाई दे, इसके लिए फोटो पूर्ण रंग में और उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए।
(ii) फोटो पिछले 6 महीनों में लिया गया होना चाहिए।
(iii) सिर सीधे कैमरे के सामने होना चाहिए, यह केंद्रित हो और 80% छवि निर्मित करता हो। फोटो बालों के थोड़ा ऊपर से छाती के मध्य भाग तक खींची हुई होनी चाहिए।
(iv) एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति रखें - मुस्कुराया जा सकता है।
(v) व्यक्ति (अभ्यर्थी) स्पष्ट फोकस में हो और पृष्ठभूमि से अलग दिखाई दे। सॉलिड कलर की पृष्ठभूमि सर्वोत्तम होती है।
(vi) आंखें खुली रखनी चाहिए और कैमरे को देखना चाहिए। चश्मे को रंगा नहीं जाना चाहिए जब तक कि इसे चिकित्सा प्रयोजनों के लिए दैनिक रूप से न पहना जाए।
(vii) व्यक्ति का पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।</td><td>

02/04/2023</td></tr>
<tr><td colspan="3">फोटो अपलोड करने की विधि
पंजीकरण:एलओसी पोर्टल में फोटोग्राफ अपलोड करने के दो तरीके हैं:</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td colspan="2">एकल फोटो स्कैनिंग विधि
(i) अभ्यर्थी की फ़ोटोग्राफ को स्कैन करें और इसे एक jpg फ़ाइल के रूप में संचित करें
(ii) कृपया सुनिश्चित करें कि फोटो का साइज़ पासपोर्ट आकार का है, व 40 केबी की सीमा के भीतर है
(iii) अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या के साथ फोटोग्राफ सहेजें
(iv) सभी फ़ोटोग्राफ को एक फोल्डर में इकट्ठा करें
(v) सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण/ एलओसी पोर्टल में लॉगिन करें
(vi) फोटो अपलोड विकल्प पर जाएं
(vii) उस कक्षा का चयन करें जिसके लिए फोटोग्राफ अपलोड किया जाना है और सूची उत्पन्न करें/बनाएं
(viii) प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने दिए गए ब्राउज बटन पर क्लिक करें
(ix) फोल्डर से फोटोग्राफ का चयन करें और अपलोड बटन पर क्लिक करें
(x) उपरोक्त चरण को तब तक दोहराएं जब तक कि सभी तस्वीरें अपलोड न हो जाएं</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td colspan="2">एकाधिक फोटो स्कैनिंग विधि
(i) सुनिश्चित करें कि सभी फ़ोटोग्राफ समान आकार की हैं
(ii) सादे कागज पर बॉक्स (एक पंक्ति में 04 या 05 फ़ोटो के लिए) बनाएं और बॉक्स में फ़ोटो चिपकाएँ और पृष्ठ को स्कैन करें।
(iii) अब स्कैन की हुई jpg फाइल को फोटोशॉप/पेंट या किसी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में खोलें
(iv) पूरी छवि को 1500x1200 पिक्सल में पुन: आकार दें
(v) इमेज सिलेक्शन टूल द्वारा स्कैन की गई इमेज में से एक अभ्यर्थी का फोटो चुनें और इसे Ctrl+C का उपयोग करके कॉपी करें</td></tr>
</table>

	(vi) इमेज एडिटर में एक नई फाइल खोलें और चयनित फोटोग्राफ पेस्ट करें (vii) नई फाइल को फोटोग्राफ फोल्डर में jpg फाइल के रूप में संचित करें। अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या पर इस फाइल को नाम दें। (viii) शीट में उपलब्ध सभी फोटोग्राफ के लिए इस चरण को दोहराएं। (ix) सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन/एलओसी पोर्टल में लॉग-इन करें (x) फोटो अपलोड विकल्प पर जाएं (xi) उस कक्षा का चयन करें जिसके लिए फोटोग्राफ अपलोड किया जाना है और सूची तैयार/उत्पन्न करें (xii) प्रत्येक अभ्यर्थी के सामने दिए गए ब्राउज बटन पर क्लिक करें (xiii) फोल्डर से फोटोग्राफ का चयन करें और अपलोड बटन पर क्लिक करें (xiv) उपरोक्त चरण को दोहराएं जब तक कि सभी तस्वीरें अपलोड न हो जाएं

ध्यान दें -:

(क) यह जांचने के लिए कि सभी तस्वीरें सही ढंग से अपलोड की गई हैं, आप फोटोग्राफ के साथ चेक लिस्ट तैयार कर सकते हैं

(ख) सुधार के मामले में, आप फोटोग्राफ पुन: अपलोड कर सकते हैं

(ग) फोटो को अंतिम तिथि तक बदला जा सकता है

(घ) अंतिम रूप देने के बाद फोटोग्राफ नहीं बदली जा सकतीं

<table>
<tr><td colspan="4" align="center">अध्ययन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा-IX)
2023-2024</td></tr>
<tr><td colspan="4">कक्षा IX और X दो वर्षों का एक एकीकृत कोर्स है। छात्र दसवीं कक्षा में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे जो उन्होंने कक्षा-नौवीं में पढ़े हैं। छात्र न्यूनतम 5 विषयों की पेशकश निम्नानुसार कर सकते हैं:-</td></tr>
<tr><td colspan="2">विषय</td><td colspan="2" align="center">विषय का नाम</td></tr>
<tr><td rowspan="5">अनिवार्य</td><td align="center">विषय-1</td><td colspan="2">भाषा I (ग्रुप एल)
हिंदी-ए या हिंदी-बी या
अंग्रेजी (भाषा और साहित्य) या अंग्रेजी (कॉम.)</td></tr>
<tr><td align="center">विषय-2</td><td colspan="2">भाषा II
विषय 1 पर चुनी हुई भाषा से अलग भाषाओं के समूह (ग्रुप एल) से कोई एक</td></tr>
<tr><td align="center">विषय-3</td><td>गणित स्टैन्डर्ड या
गणित बेसिक</td><td>(ग्रुप -ए 1)</td></tr>
<tr><td align="center">विषय-4</td><td colspan="2">विज्ञान (ग्रुप -ए 1)</td></tr>
<tr><td align="center">विषय-5</td><td colspan="2">सामाजिक विज्ञान (ग्रुप -ए 1)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">अतिरिक्त विषय
वैकल्पिक</td><td align="center">विषय 6</td><td colspan="2">कौशल विषय (कौशल विषयों के समूह से) (ग्रुप-S)</td></tr>
<tr><td align="center">विषय 7</td><td colspan="2">भाषा III (ग्रुप-एल) /उपर्युक्त लिए गए विकल्प से अलग कोई शैक्षणिक विषय (ग्रुप-ए 2)</td></tr>
<tr><td>आंतरिक आकलन के विषय</td><td>विषय 8 और 9</td><td colspan="2"><u>कला शिक्षा</u>
<u>स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा</u>
(स्कूल स्तर पर आकलन और प्रमाणन)</td></tr>
<tr><td colspan="4">महत्वपूर्ण निर्देश:-</td></tr>
<tr><td>(क)</td><td colspan="3">जो छात्र गणित-बेसिक (241) को चुनते हैं, उनके पास कक्षा XI/ वरिष्ठ माध्यमिक में ऐच्छिक के रूप में अनुप्रयुक्त गणित (241) लेने का विकल्प होगा हालांकि उन्हें वरिष्ठ माध्यमिक पर गणित (041) लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, एक छात्र जिसने गणित-स्टैन्डर्ड (041) को चुना है, वह वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर दो उपलब्ध गणित में से किसी एक की पेशकश कर सकता है।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td colspan="3">यदि कोई छात्र तीन अनिवार्य शैक्षणिक विषयों (अर्थात विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान) में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है और कौशल विषय (छठे वैकल्पिक विषय के रूप में पेश) में उत्तीर्ण हो जाता है, तो उस विशेष अनिवार्य विषय को कौशल विषय से बदल दिया जाएगा और दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम की संगणना तदनुसार की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td colspan="3">यदि कोई छात्र पहले पांच विषयों में से किसी भी भाषा विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे सातवें विषय (वैकल्पिक) के रूप में ली गई भाषा से बदल दिया जाएगा, बशर्ते उसने सातवां भाषा विषय उत्तीर्ण किया हो, और प्रतिस्थापन के बाद हिंदी या अंग्रेजी पहले पांच विषयों में उत्तीर्ण भाषा के रूप में बनी रहती है।</td></tr>
</table>

(घ)	यह अपेक्षा की जाती है कि सभी छात्रों ने आठवीं कक्षा तक तीन भाषाओं का अध्ययन किया होगा। वे छात्र जो आठवीं कक्षा में तीसरी भाषा को उत्तीर्ण नहीं कर सके और नौवीं कक्षा में प्रोन्नत हो गए हैं, उनका संबंधित स्कूलों द्वारा कक्षा IX के अंत में उसी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में परीक्षण किया जाएगा जोकि कक्षा आठवीं के लिए निर्धारित हैं। जो अभ्यर्थी अभी भी नौवीं कक्षा के अंत में तीसरी भाषा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ हैं, उन्हें दसवीं कक्षा में एक और अवसर दिया जा सकता है।
(.ड)	हिंदी या अंग्रेजी कक्षा IX और X में अध्ययन की जाने वाली दो भाषाओं में से एक होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी एक साथ भी पेश की जा सकती हैं। छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हिंदी में कक्षा IX और X के लिए दो कोर्स प्रदान किए गए हैं और एक छात्र या तो हिंदी A (कोड 002) या हिंदी B (कोड 085) का विकल्प ले सकता है। इसी प्रकार, अंग्रेजी भी दो स्तरों पर पेश की जा सकती है अंग्रेजी भाषा और साहित्य (184) और कम्यूनिकेशन अंग्रेजी (101)।
(च)	अतिरिक्त छठे कौशल विषय को लेने वाले छात्र 7वें विषय के रूप में एक अतिरिक्त भाषा-III/ विषय भी ले सकते हैं।
(छ)	जहां कहीं सीबीएसई द्वारा सेक्शन/अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिबंधित की गई है, स्कूल सेक्शन/अभ्यर्थियों की संख्या उस सीमा से अधिक नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में, यदि आवश्यक हो, तो उचित प्रक्रिया अपनाकर सम्बद्धता इकाई से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
(ज)	बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए http://cbseacademic.nic.in लिंक पर पाठ्यक्रम में उपलब्ध है। स्कूलों को केवल अध्ययन योजना के अनुवर्तन में विषयों की पेशकश (बोर्ड की अनुमति के अधीन) करना आवश्यक है।
(झ)	बोर्ड प्रत्येक विषय में अलग से प्राप्त अंकों को इंगित करते हुए अंक पत्रक सह प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड द्वारा कुल स्कोर/प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है। अभ्यर्थी जो 6/7 विषय लेते हैं और सभी 6/7 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत की गणना उस महाविद्यालय/ संस्थान के मानदंडों के अनुसार की जाती है जिसमें अभ्यर्थी प्रवेश लेना चाहता है।
(ञ)	यह अतीत में देखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा लिए गए विषयों और स्कूल में पढ़ाए जा रहे विषयों में भिन्नता है। डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में विषय कोड और विषय के नाम की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य की जानी चाहिए।
(ट)	यदि अध्ययन योजना का उल्लंघन होता है, तो अपलोड किया गया डेटा अपलोड करने के बाद सर्वर पर त्रुटि दिखाएगा। सही विषय संयोजन चुनने के बाद ही त्रुटि सुधार किया जाएगा।

विषय सूची कक्षा- X (2023-24)				
क्र.सं.	**कक्षा**	**विषय**	**विषय का नाम**	
भाषा (ग्रुप - एल)				
1	9	**002**	**हिंदी कोर्स - ए**	**कोई एक**
2	9	**085**	**हिंदी कोर्स - बी**	
3	9	**101**	**अंग्रेजी (कम्यूनकेटिव)**	**कोई एक**
4	9	**184**	**अंग्रेजी (भाषा और साहित्य)**	
5	9	**003**	**उर्दू कोर्स - ए**	**कोई एक**
6	9	**303**	**उर्दू कोर्स - बी**	
7	9	004	पंजाबी	
8	9	005	बंगाली	
9	9	006	तमिल	
10	9	**007**	**तेलगु**	**कोई एक**
11	9	**089**	**तेलगु - तेलंगाना**	
12	9	008	सिंधी	
13	9	009	मराठी	
14	9	010	गुजराती	
15	9	011	मणिपुरी	
16	9	012	मलयालम	
17	9	013	उड़िया	
18	9	014	असमिया	
19	9	015	कन्नड़	
20	9	016	अरबी	
21	9	017	तिब्बती	
22	9	018	फ्रेंच	
23	9	020	जर्मन	
24	9	021	रूसी	
25	9	023	पर्सियन	
26	9	024	नेपाली	
27	9	025	लिंबु	
28	9	026	लेपचा	
29	9	088	भोटी	
30	9	091	कॉकबोरोक	
31	9	092	बोडो	
32	9	093	तांगखुल	
33	9	094	जापानी	
34	9	095	भूटिया	
35	9	096	स्पेनिश	
36	9	097	कश्मीरी	

37	9	098	मिज़ो	
38	9	099	बहासा मेलायु	
39	9	**119**	**संस्कृत (कम्यूनकेटिव)**	कोई एक
40	9	**122**	**संस्कृत**	
41	9	131	राय	
42	9	132	गुरांग	
43	9	133	तमांग	
44	9	134	शेरपा	
45	9	136	थाई	
अनिवार्य शैक्षणिक विषय (ग्रुप - ए1)				
46	9	**041**	**गणित स्टैन्डर्ड**	**कोई एक**
47	9	**241**	**गणित बेसिक**	
48	9	086	विज्ञान	
49	9	087	सामाजिक विज्ञान	
अन्य शैक्षणिक विषय (ग्रुप - ए2)				
50	9	**031**	**कर. संगीत (वॉकल)**	**कोई एक**
51	9	**032**	**कर. संगीत मेल. इन्स**	
52	9	**033**	**कर. संगीत पर. इन्स**	
53	9	**034**	**हिंदी संगीत (वॉकल)**	
54	9	**035**	**हिंदी संगीत मेल. इन्स.**	
55	9	**036**	**हिंदी संगीत पर. इन्स.**	
56	9	049	पेंटिंग	
57	9	064	गृह विज्ञान	
58	9	076	नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी)	
59	9	**154**	**एलीमेंट्स ऑफ बिजनेस**	कोई एक
60	9	**254**	**एलीमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड एकाउंट**	
61	9	**165**	**कंप्यूटर एप्पलीकेशन**	ग्रुप-एस के 402/417 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
कौशल विषय (ग्रुप - एस)				
62	9	401	रिटेल	
63	9	403	सिक्युरिटी	
64	9	402	सूचना प्रौद्योगिकी	कोई एक और ग्रुप - ए2 के 165 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
65	9	417	आर्टिफ़िश्यल इंटेलीजेंस	
66	9	404	ऑटोमोटिव	
67	9	405	इन्ट्रोडक्शन टू फाइनैन्शल मार्केट	
68	9	406	इन्ट्रोडक्शन टू टूरिज़म	
69	9	407	ब्यूटी एंड वेलनेस	
70	9	408	एग्रीकल्चर	
71	9	409	खाद्य उत्पादन	

72	9	410	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स	
73	9	411	बैंकिंग एण्ड इन्शुरेंस	
74	9	412	मार्केटिंग एंड सेल्ज़	
75	9	413	हेल्थ केयर	
76	9	414	अपैरल	
77	9	415	मल्टीमीडिया	
78	9	416	मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स	
79	9	418	फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर	
80	9	419	डेटा साइंस	
81	9	420	एलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (नया)	
82	9	421	फाउंडेशन स्किल फॉर साइंस (नया) (फार्मसूटिकल एंड बायोटेक्नोलोजी)	
83	9	422	डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन(नया)	
विषयों का पूर्ण विवरण वेबलिंक : https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2024.html पर उपलब्ध है।				

<table>
<tr><th colspan="2">कक्षा IX के लिए विषय संयोजन के उदाहरण</th></tr>
<tr><th colspan="2">मान्य विषय संयोजन</th></tr>
<tr><td>मामला 1
विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य
विषय 2: 085 हिंदी कोर्स - बी
विषय 3: 041 गणित
विषय 4: 086 विज्ञान
विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान
विषय 6: 401 रिटेल
विषय 7: 006 तमिल</td><td>मामला 4
विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य
विषय 2: 002 हिंदी कोर्स -ए
विषय 3: 041 गणित
विषय 4: 086 विज्ञान
विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान
विषय 6: ....
विषय 7: 122 संस्कृत</td></tr>
<tr><td>मामला 2
विषय 1: 002 हिंदी कोर्स -ए
विषय 2: 009 मराठी
विषय 3: 041 गणित
विषय 4: 086 विज्ञान
विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान
विषय 6: 403 सिक्युरिटी
विषय 7: 004 पंजाबी</td><td>मामला 5
विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य
विषय 2: 006 तमिल
विषय 3: 041 गणित
विषय 4: 086 विज्ञान
विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</td></tr>
<tr><td>मामला 3
विषय 1: 184 अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य
विषय 2: 002 हिंदी कोर्स -ए
विषय 3: 041 गणित
विषय 4: 086 विज्ञान
विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="2">अमान्य विषय संयोजन</th></tr>
<tr><td>मामला 1
विषय 1: 002 हिंदी कोर्स ए
विषय 2: 004 पंजाबी
विषय 3: 041 गणित
विषय 4: 086 विज्ञान
विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान
विषय 6: 402 सूचना प्रौद्योगिकी }
विषय 7: 165 कंप्यूटर एप्पलीकेशन } अमान्य</td><td>मामला 3
विषय 1: 002 हिंदी कोर्स ए
विषय 2: 021 रूसी
विषय 3: 041 गणित
विषय 4: 086 विज्ञान
विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान
विषय 6 :401 रिटेल }
विषय 7 :404 ऑटोमोटिव } अमान्य</td></tr>
<tr><td>मामला 2
विषय 1: 018 फ्रेंच }
विषय 2: 006 तमिल } अमान्य
विषय 3: 041 गणित
विषय 4: 086 विज्ञान
विषय 5: 087 सामाजिक विज्ञान</td><td></td></tr>
</table>

अध्ययन योजना
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा XI)
2023-24

ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा एक एकीकृत पाठ्यक्रम है। छात्र बारहवीं कक्षा में केवल उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे, जो उन्होंने कक्षा-XI में पढ़े हैं। छात्र न्यूनतम 5 विषयों की पेशकश निम्नानुसार कर सकते हैं:-

विषय		**विषय का नाम**
अनिवार्य	**विषय 1**	हिंदी इलेक्टिव या हिन्दी कोर अथवा अंग्रेजी इलेक्टिव या अंग्रेजी कोर
	विषय 2	विषय 1 के रूप में नहीं चुने गए विषय ग्रुप -एल से कोई एक भाषा या शैक्षणिक इलेक्टिव विषयों (ग्रुप-ए) में से कोई एक विषय
	विषय 3, विषय 4 व विषय 5	शैक्षणिक इलेक्टिव विषयों (ग्रुप-ए) में से कोई तीन विषय या स्किल ग्रुप-S से कोई तीन विषय या ग्रुप-ए और ग्रुप-S के संयोजन में से कोई तीन विषय।
अतिरिक्त विषय वैकल्पिक	**विषय -6**	ऊपर नहीं चुने गए किसी भी विषय ग्रुप में से कोई एक विषय
आंतरिक आकलन के विषय	**विषय 7 से 9** **(सभी नियमित अभ्यर्थियों द्वारा लिए जाने वाले)**	500 - कार्य अनुभव 502 - स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा 503- सामान्य अध्ययन

महत्वपूर्ण निर्देश : -

(क)	ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली दो भाषाओं में से एक हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी एक साथ भी पेश की जा सकती हैं। छात्रों की अलग-अलग पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी में दो पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और छात्र या तो हिंदी इलेक्टिव (कोड 002) या हिंदी कोर (कोड 302) और अंग्रेजी इलेक्टिव (कोड -01) या अंग्रेजी कोर (कोड -301) का विकल्प चुन सकते हैं। हालाँकि, कोर और वैकल्पिक दोनों स्तरों पर एक ही भाषा की पेशकश नहीं की जा सकती है।
(ख)	अंक पत्र / ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली में विषयों को भरने के कालानुक्रमिक क्रम में पहले 5 विषयों को मुख्य विषय माना जाता है।
(ग)	यदि किसी छात्र ने 6 विषय लिए हैं, और यदि वह पहले पांच विषयों में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उसे छठे विषय से बदल दिया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी अध्ययन योजना को पूरा करता हो अर्थात छठे विषय के प्रतिस्थापन के बाद, हिंदी या अंग्रेजी मुख्य पांच विषयों में से एक के रूप में बनी हुई है।

(घ)	अभ्यर्थी, जो 6 विषय (5 मुख्य और 1 अतिरिक्त विषय) लेते हैं और सभी 6 विषयों में उत्तीर्ण होते हैं, प्रतिशत की गणना उस नियोक्ता/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान/विश्वविद्यालय/नियोक्ता के मानदंडों के अनुसार की जाएगी जहां अभ्यर्थी प्रवेश/रोजगार चाहता होगा। सीबीएसई गणना नहीं करता और प्रतिशत उपलब्ध नहीं कराता।
(.ड)	स्कूल द्वारा विद्यार्थियों को केवल उन्हीं विषयों की पेशकश की जा सकती है, जिनके लिए सीबीएसई का अनुमोदन लिया गया है।
(च)	बोर्ड ने अध्ययन योजना निर्धारित की है जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए http://cbseacademic.nic.in लिंक पर पाठ्यक्रम में उपलब्ध है। स्कूलों को केवल अध्ययन योजना के अनुवर्तन में विषयों की पेशकश करना आवश्यक है।
(छ)	सीबीएसई के पास स्ट्रीम की अवधारणा नहीं है। छात्र उपरोक्त योजना के अनुसार पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध और संबंधित स्कूल में उपलब्ध विषयों में से 5/6 विषय ले सकते हैं। स्कूल अपने प्रबंधन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार छात्रों को प्रवेश देते हैं।

* सीडब्ल्यूएसएन अभ्यर्थियों को रियायतों के लिए, कृपया रूपरेखा और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देखें।

अनुलग्नक - एच

विषय सूची कक्षा - XI (2023-24)				
भाषा (ग्रुप - एल)				
क्र.सं.	**कक्षा**	**विषय**	**विषय का नाम**	
1	11	**001**	**अंग्रेजी इलेक्टिव**	कोई एक
2	11	**301**	**अंग्रेजी कोर**	
3	11	**002**	**हिंदी इलेक्टिव**	कोई एक
4	11	**302**	**हिंदी कोर**	
5	11	**003**	**उर्दू इलेक्टिव**	कोई एक
6	11	**303**	**उर्दू कोर**	
7	11	**022**	**संस्कृत इलेक्टिव**	कोई एक
8	11	**322**	**संस्कृत कोर**	
9	11	104	पंजाबी	
10	11	105	बंगाली	
11	11	106	तमिल	
12	11	**107**	**तेलगु**	कोई एक
13	11	**189**	**तेलुगु तेलंगाना**	
14	11	108	सिंधी	
15	11	109	मराठी	
16	11	110	गुजराती	
17	11	111	मणिपुरी	
18	11	112	मलयालम	
19	11	113	उड़िया	
20	11	114	असमिया	
21	11	115	कन्नड़	
22	11	116	अरबी	
23	11	117	तिब्बती	
24	11	118	फ्रेंच	
25	11	120	जर्मन	
26	11	121	रूसी	
27	11	123	पर्शियन	
28	11	124	नेपाली	
29	11	125	लिंबु	
30	11	126	लेपचा	
31	11	188	भोटी	
32	11	191	कॉकबोरोक	
33	11	192	बोडो	
34	11	193	तांगखुल	
35	11	194	जापानी	

36	11	195	भूटिया	
37	11	196	स्पेनिश	
38	11	197	कश्मीरी	
39	11	198	मिज़ो	
शैक्षणिक विषय (ग्रुप ए)				
क्र.सं.	**कक्षा**	**विषय**	**विषय का नाम**	
40	11	027	इतिहास	
41	11	028	राजनीति विज्ञान	
42	11	029	भूगोल	
43	11	030	अर्थशास्त्र	
44	11	**031**	**कर. संगीत वॉकल**	**कोई एक**
45	11	**032**	**कर. संगीत मेल. इन्स.**	
46	11	**033**	**कर. संगीत पर. इन्स मृदंगम**	
47	11	**034**	**हिंदी संगीत वॉकल**	
48	11	**035**	**हिंदी संगीत मेल. इन्स.**	
49	11	**036**	**हिंदी पर. इन्स.**	
50	11	037	मनोविज्ञान	
51	11	039	समाजशास्त्र	
52	11	**041**	**गणित**	**कोई एक**
53	11	**241**	**अनुप्रयुक्त गणित**	
54	11	042	भौतिकी	
55	11	043	रसायन शास्त्र	
56	11	044	जीव विज्ञान	
57	11	045	जैव प्रौद्योगिकी	
58	11	046	इंजीनीरिंग ग्राफिक्स	
59	11	048	शारीरिक शिक्षा	
60	11	**049**	**पेंटिंग**	**कोई एक**
61	11	**050**	**ग्राफिक्स**	
62	11	**051**	**स्कल्प्चर**	
63	11	**052**	**एप्प/कॉमर्शियल आर्ट**	
64	11	**054**	**बिजनेस स्टडीज**	ग्रुप - एस के 833 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
65	11	055	एकाउंटेन्सी	
66	11	**056**	**कथक - नृत्य**	**कोई एक**
67	11	**057**	**भरतनाट्यम - नृत्य**	
68	11	**058**	**कुचिपुड़ी - नृत्य**	
69	11	**059**	**ओडिसी - नृत्य**	
70	11	**060**	**मणिपुरी - नृत्य**	
71	11	**061**	**कथकली - नृत्य**	
72	11	064	गृह विज्ञान	
73	11	**065**	**इंफोरमटिक्स प्रैक्टिस**	कोई एक तथा ग्रुप

74	11	**083**	**कंप्यूटर साइंस**	- एस के 802 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
75	11	066	उद्यमिता	
76	11	073	नॉलेज ट्रेडीशन एवं प्रक्टिसेज ऑफ इंडिया	
77	11	074	विधि अध्ययन	
78	11	076	नेशनल कडेट कॉर्पस (एनसीसी)	
कौशल इलेक्टिव (ग्रुप - एस)				
क्रमांक	कक्षा	विषय	**विषय का नाम**	
79	11	801	रिटेल	
80	11	802	सूचना प्रौद्योगिकी	ग्रुप - ए के 065/083 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
81	11	803	वेब एप्पलीकेशन	
82	11	804	ऑटोमोटिव	
83	11	805	फाइनैन्शल मार्कट मैनेजमेंट	
84	11	806	टूरिज़्म	
85	11	807	ब्यूटी एंड वेलनेस	
86	11	808	एग्रीकल्चर	
87	11	809	फूड प्रोडक्शन	
88	11	810	फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स	
89	11	811	बैंकिंग	
90	11	812	मार्केटिंग	
91	11	813	हेल्थ केयर	
92	11	814	इन्शुरेंस	
93	11	816	होर्टिकल्चर	
94	11	817	टाइपाग्रफी एंड कंप्यूटर अनुप्रयोग	
95	11	818	जिओसपेशियअल प्रौद्योगिकी	
96	11	819	इलेक्ट्रिकल प्रौद्योगिकी	
97	11	820	इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी	
98	11	821	मल्टीमीडिया	
99	11	822	टैक्सेशन	
100	11	823	कोस्ट एकाउंटिंग	
101	11	824	ऑफिस प्रोसेजर एंड प्रेक्टीसेज	
102	11	825	शॉर्टहैंड (अंग्रेजी)	
103	11	826	शॉर्टहैंड (हिंदी)	
104	11	827	एयर-कंडीशन एंड रेफ्रीजरेशन	
105	11	828	मेडिकल डायगनोस्टिक्स	
106	11	829	टेक्सटाइल डिजाइन	
107	11	830	डिजाइन	
108	11	831	सेल्ज़मैनशिप	

109	11	**833**	**बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन**	ग्रुप - ए के 054 के साथ पेश नहीं किया जा सकता
110	11	834	फूड न्यूट्रीशन एंड डाइटेटिक्स	
111	11	835	मास मीडिया स्टडीज	
112	11	836	लाइब्रेरी एंड इनफॉर्मेशन साइंस	
113	11	837	फैशन स्टडीज	
114	11	841	योग	
115	11	842	अर्ली चाइल्डहूड केयर एंड एडयूकेशन	
116	11	843	आर्टिफिसिअल इंटेलीजेंस	
117	11	844	डेटा साइंस	
118	11	845	शारीरिक गतिविधि प्रशिक्षक	
119	11	846	लैंड ट्रांसपोर्टेशन असोसिएट	
120	11	847	एलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर	
121	11	848	डिजाइन थिंकिंग एण्ड इनोवेशन	
विषयों का पूर्ण विवरण वेबलिंक : https://cbseacademic.nic.in/curriculum_2024.html पर उपलब्ध है।				

अनुलग्नक - आई

कक्षा XI के लिए विषय संयोजन के उदाहरण	
मान्य विषय संयोजन	
मामला 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 048 शारीरिक शिक्षा	**मामला 5** विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 302 हिंदी कोर विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 041 गणित
मामला 2 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 048 शारीरिक शिक्षा विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 043 रसायन विज्ञान विषय 5: 044 जीव विज्ञान	**मामला 6** विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 अकाउंटेंसी विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़ विषय 4: 030 अर्थशास्त्र विषय 5: 302 हिंदी कोर
मामला 3 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 302 हिंदी कोर विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र	**मामला 7** विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 अकाउंटेंसी विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़ विषय 4: 041 गणित विषय5: 030 अर्थशास्त्र
मामला 4 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 3: 041 गणित विषय 4: 042 भौतिकी विषय 5: 043 रसायन विज्ञान विषय 6: 083 कंप्यूटर विज्ञान	**मामला 8** विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 055 अकाउंटेंसी विषय 3: 054 बिजनेस स्टडीज़ विषय 4: 030 अर्थशास्त्र विषय 5: 065 इन्फॉर्मटिक्स प्रक्टिस
अमान्य विषय संयोजन	
मामला 1 विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 042 भौतिकी विषय 3: 043 रसायन विज्ञान विषय 4: 065 इन्फॉर्मटिक्स प्रक्टिस } अमान्य विषय 5: 083 कंप्यूटर विज्ञान }	**मामला 2** विषय 1: 301 अंग्रेजी कोर विषय 2: 041 गणित विषय 3: 042 भौतिकी विषय 4: 049 पेंटिंग } अमान्य विषय 5: 050 ग्राफिक्स }
मामला 3 विषय 1: 322 संस्कृत कोर } विषय 2: 104 पंजाबी } अमान्य विषय 3: 027 इतिहास विषय 4: 029 भूगोल विषय 5: 028 राजनीति विज्ञान विषय 6: 039 समाजशास्त्र	**मामला 4** विषय 1: 302 हिंदी कोर } अमान्य विषय 2: 002 हिंदी इलेक्टिव } विषय 3: 041 गणित विषय 4: 042 भौतिकी विषय 5: 043 रसायन विज्ञान
मामला 5 विषय 1: 302 हिंदी कोर विषय 2: 812 मार्केटिंग } अमान्य विषय 3: 816 होर्टीकल्चर विषय 4: 830 डिजाइन विषय 5: 837 फैशन स्टडीज	

* सीडब्ल्यूएसएन अभ्यर्थियों को रियायतों के लिए, कृपया रूपरेखा और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देखें।